

PFMS Generated DBT Payment Advice/Authority

Approval date in PFMS: 30 Sep 2016	Payment Advice No.: C091606201163
	Advice Print Date : 30 Sep 2016
PAN No. : TAN No. LKNS08430C	TAN No.:
Note For Branch:	
Bank's PFMS Nodal Officer:	Jayashree Pai
Phone No. :	022-27578957
Email :	figs.pfms@sbi.co.in
Note:	

To,

The Branch Head

STATE BANK OF INDIA

U.P.CIVIL SECRETARIAT-LUCKNOW Branch

We authorise the bank to debit our undernoted account maintained with the bank with batch amount and credit the beneficiary(ies) [#8] as per ANNEXURE-I uploaded to bank's central system through PFMS O/o CGA.

Bank Account No. 30158315021

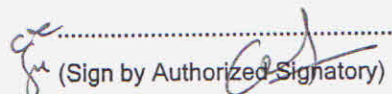
Total Amount of Debit : Rs 20375777.00

(Amount in words : Two Crores Three Lakhs Seventy-Five Thousand Seven Hundred Seventy-Seven)

Batch No. C091606201163

No. Of Beneficiaries as per Annexure-I.

Agency Seal


(Sign by Authorized Signatory)

Name - Gurjeet Singh Kalsi
Finance Controller

Designation -

Mobile No -


(Sign by Authorized Signatory)

Name - ALOK KUMAR
Mission Director

Designation -

Mobile No -

Agency's Copy (Branch Acknowledgement)

To,

State Health Society of Uttar Pradesh

Ref: Account No. 30158315021

Payment Advice Number C091606201163

We confirm having received the captioned advice of credit(s) for payment today for further processing as per arrangement of bank on integrated PFMS-Bank payment system.

No. Of Beneficiaries : 8

Amount (in Rs.) : 20375777.00

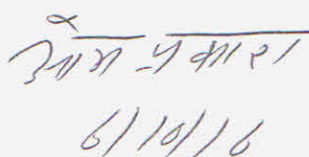
Date & Time :

STATE BANK OF INDIA

Branch Seal

Branch Authorized Official

Agency to enter date of delivery in PFMS using option | E-Payment => PPA Submission Status


6/10/16

ANNEXURE -I*(All page to be stamped and initial and last page to be signed in FULL with stamp)***Payment Advice No.:** C091606201163

Sr.No.	Name of Beneficiary	Bank Name	Account Number	Aadhaar Number	IFSC/IIN/MICR Code	Amount(In Rs.)
1	DISST. HEALTH SOCIETY, GORAKHPUR	STATE BANK OF INDIA	30158119707		SBIN0000086	1,400,734.00
2	DISTRICT HEALTH SOCIETY, MAHARAJGANJ	STATE BANK OF INDIA	30169613514		SBIN0001147	275,165.00
3	DISTT HEALTH SOCIETY	STATE BANK OF INDIA	30159423669		SBIN0000615	128,174.00
4	DISTT HELTH SOCIETY SIDDHARTH NAGAR	STATE BANK OF INDIA	30158198940		SBIN0002587	1,341,161.00
5	DISTT. HEALTH SOCIETY BAHRAICH	STATE BANK OF INDIA	30158169667		SBIN0000015	3,313,742.00
6	DISTT. HEALTH SOCIETY GROUP	STATE BANK OF INDIA	30158286713		SBIN0000031	7,931,811.00
7	N H R M- DIST. HEALTH SOCIETY, SANT KABIR NAGAR	STATE BANK OF INDIA	30158876291		SBIN0000115	4,047,045.00
8	SHC PHC	STATE BANK OF INDIA	30157993405		SBIN0000148	1,937,945.00
Total Amount(Rs)						20375777.00
Please acknowledge and do the needful as prescribed by bank to complete transactions.						


Gurjeet Singh Kalsi
Finance Controller


ALOK KUMAR
Mission Director

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक, संक्रामक रोग/वी0बी0डी0,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र संख्या: 02-A/AES/JE/NP/2016-17/6560

दिनांक: 21 अक्टूबर 2016

विषय : एन0वी0बी0डी0सी0पी0 के अन्तर्गत ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम हेतु वर्ष 2016-17 की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 21फ/सं0रो0/ए0ई0एस0/जे0ई0/2016/2350 दिनांक 12.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एन0वी0बी0डी0सी0पी0 के अन्तर्गत ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम हेतु रू0 703.40 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया था।

2. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पी0आई0पी 2016-17 के क्रम में आपके प्रस्तावानुसार एन0वी0बी0डी0सी0पी0 के अन्तर्गत ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम हेतु रू0 703.40 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में दिनांक 04.10.2016 को आवंटित कर दी गयी है।

3. संज्ञान में लाना है कि वित्त अनुभाग, एन0एच0एम0 द्वारा जनपदों में उपलब्ध अनकमिटेड अनस्पेन्ट धनराशि रू0 499.64 लाख को समायोजित करते हुये रू0 203.76 लाख की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी है, जिसकी जनपदवार, गतिविधिवार फांट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

4. अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से एस0पी0एम0यू0 के राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुभाग के साथ समन्वय कर जनपदों को निर्गत करने का कष्ट करें तथा दिशा-निर्देश में वित्तीय सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं को भी समाहित करने का कष्ट करें-

- धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

---2

Sainka

- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकी में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
- मानदेय के मद में अवमुक्त की गयी धनराशि से भुगतान उन्हीं संविदा कर्मियों को किया जाएगा जिनको वार्षिक मुल्यांकन करने के पश्चात् वर्ष 2016-17 के लिए पुनर्अनुबन्धित किया गया हो अथवा वर्ष 2015-16 की पी0आई0पी0 में अनुमोदित पदों के सापेक्ष नई तैनाती की

गयी हो। मानदेय में 5% की वार्षिक-वृद्धि उन्हीं संविदा कर्मियों को देय होगी जिन्होंने एक वर्ष की संतोषजनक निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय,

MR E
21/10/16

(डा० एम०आर० गौतम)

महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम

पत्र संख्या: 02-A/AES/JE/NP/2016-17/

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ०प्र०।
4. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
6. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट—www.upnrhm.gov.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की गयी धनराशि के नियमानुसार उपयोग/व्यय करने हेतु सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र की प्रति सम्बन्धित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा० एम०आर० गौतम)

महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम